संपादकीय

गढ़ से गड़हा तक

मध्य काल में बड़े पैमाने पर गढ़ों का निर्माण हुआ था। तब जनसंख्या का घनत्व काफी कम था और बसने लायक जगह अधिक थी, इसलिए निर्जन स्थानों में से उपयुक्त का चयन कर गढ़ बनाए जाते थे। गढ़ दो तरह के बनाए गए; एक, जो किलों और महलों से संयुक्त थे और दूसरे, जो केवल जगह को ऊँचा करके आबादी बसाने के लिए गाँव के रूप में विकसित हुए। इनका मूलोद्देश्य पानी जमाव की संभावना को दूर-दूर तक समाप्त करना था। प्राकृतिक प्रकोप बाढ़-दहाड़ से वहाँ बसने वाले पूरी तरह सुरक्षित हो जाते थे। इसके लिए बहुतायत में मिट्टी की आवश्यकता होती थी। माटी काटकर भरने के लिए बड़े स्तर पर श्रम शक्ति का प्रयोग भी अपरिहार्य था। चूँकि इतनी सारी मिट्टी दूर से लाना दुष्कर था, इसलिए गढ़ के मुख्य द्वार को छोड़कर चारों ओर या दो-तीन तरफ तो अवश्य ही खड्ड भी अभिन्न रूप से बन जाते थे। गढ़ का निर्माण ही मुख्य था, पर समीपस्थ गड्ढ़ों से रहने वालों को दुश्मनों व घातक जानवरों से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती थी। किलों और महलों वाले गढ़ हों या आबादी बसाने के लिए बने गढ़ - दोनों पर इन्हें पार करके जाना मुश्किल था।

अब गढ़ों का निर्माण तो नहीं होता, फिर भी जहाँ-तहाँ मिट्टीकरण हेतु मिट्टी काटने की जरूरत पड़ती है। पहले के तालाब, पोखर, सरोवर की सुव्यवस्थित बनावट होती थी। ये जलाशय चाहे व्यक्ति-विशेष द्वारा बनाए गए हों या सामाजिक प्रयत्न के प्रतिफल हों, सामान्यतः सामूहिक जलस्रोत के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इन्हें कहाँ निर्मित करने से ज्यादा-से-ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे - इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। आधुनिक दौर औद्योगीकरण और शहरीकरण का है। जो देश विकसित हैं, उनकी शहरी आबादी का अनुपात या प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। एक प्रकार से विकसित होने की प्रमुख शर्त शहरी होना है। आधुनिक विकास की रीढ़ उद्योग की आधार-भूमि भी शहर-महानगर ही हैं। परंपरागत विकास का मेरुदंड कृषि है, जिसके लिए उर्वर भूमि गाँवों में है। शहर की पहचान ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं की निर्माण-सामग्री ईंटों के लिए गाँवों की मिट्टी पर निर्भरता है, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य के लिए भी। बंजर भूमि के बाद अब खेती वाली जमीन से बड़े स्तर पर मिट्टी कटती जा रही है बिना किसी दूरगामी नीति के। छोटे किसान जिनके पास जमीन तो है, पर खेती करने में समर्थ नहीं अथवा खेती करने में रुचि नहीं रखते, वे कुछ हज़ार रुपयों के लिए खेतों की मिट्टी कटवा रहे हैं, पर इससे खेत ख़राब हो जाता है। बहुत जगह ऐसे बेढ़ंगे तरीके से मिट्टी काटी गई है, जिससे दूसरे खेतों को नुकसान हुआ है। घर-मकान के पास गड्ढा खुद जाने पर मकान गिर जाते हैं। पेड़-पौधे कमजोर होकर गिरने या सूखने लगते हैं। बगल की जमीन कटती जाती है, दिन-प्रति-दिन रकबा सिकुड़ता है।

पर्यावरण संरक्षण की तरह मिट्टी कटाई पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। शहर-महानगर और उनके उद्योग चाहे लाख आधुनिक विकास के मापदंड स्थिर करते हों, पर जब खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो लोग खाऐंगे क्या? अगर इनसे इतर कुछ खाने भी लगें तो वह इन्हीं की तरह पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्द्धक होगा क्या? पेड़ों की कटाई नीति व वृक्षारोपण अभियान की तरह ही मिट्टी कटाई के कार्य को सुव्यवस्थित किया जाना जरूरी है। प्रशासन को, जमीन मालिकों को, ईंट-भट्ठों वालों को दूरगामी योजना बनाकर मिट्टी कटवाने का कार्य कराना चाहिए, क्योंक गढ़ बनें-न बनें, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए मिट्टी कटवाने की आवश्यकता बनी रहेगी।

ऊँचाई गढ़ की और गहराई गड्ढ़े की मूल प्रकृति है। गढ़ और गड्ढ़े सृष्टि का शाश्वत संदेश संप्रेषित करते हैं कि यदि कहीं ऊँचा बनाना है, तो कहीं-न-कहीं नीचा-गहरा बनाने के लिए भी तैयार होना होगा। यदि कहीं प्रायोजित ढंग से गड्ढा ही बनाना हो, तब भी कहीं-न-कहीं ऊँचा बनाना पड़ेगा। दोनों दो ध्रुव हैं, पर उनकी धुरी एक है, एक के बिना दूसरे के निर्माण की कल्पना व्यर्थ है। गढ़ राजकाज और सामूहिकता के प्रतीक थे; जबकि अब बनती है खाई, जिन्हें बनाने का निर्णाय सामान्यतः व्यक्तिगत होता है। स्थान-स्थान और व्यक्ति-व्यक्ति के स्तर पर बढ़ती खाई से सामाजिक-सार्वजनिक नुकसान की आशंका बढ़ती है।